न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 01/2025 अपील (GCMS/2024/69)
पंजीयन दिनांक - 15.01.2025
आदेश दिनांक - 28.01.2026

जसवंत सिंह झाला पिता रतन सिंह झाला निवासी 115 हडमतिया जागीर, बंबोरी, तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़

-अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. अपीलांट अनुपस्थित। अपीलांट की ओर से उनके पिता श्री रतन सिंह उपस्थित।
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक न्याय/आर्म्स/2024/1661 दिनांक 27.08.2024

निर्णय

दिनांकः 28.01.2026

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा-18 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक न्याय/आर्म्स/2024/1661 दिनांक 27.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी श्री जसवंत सिंह झाला पिता रतन सिंह झाला, निवासी हड़मतिया जागीर बम्बोरी, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ ने अपने पिता के नाम लाईसेंसी हथियार को विरासत के आधार पर अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ ने विभिन्न विभागों से रिपोर्ट प्राप्त की। पुलिस विभाग की रिपोर्ट दिनांक 29.06.2020 में अपीलार्थी के घरेलू विवाद होने से शस्त्र अन्तरण की सिफारिश नहीं की गई। तत्पश्चात अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर पुनः जांच रिपोर्ट पुलिस विभाग से मंगवाई गई। पुलिस विभाग की द्वितीय रिपोर्ट दिनांक 30.07.2021 द्वारा आवेदक के पैतृक सम्पत्ति का विवाद होने से शस्त्र अनुज्ञप्ति जारी किया जाना उचित नहीं बताया। पुलिस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 06.08.2021 को खारिज किया गया।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 06.08.2021 के विरूद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा में अपील प्रस्तुत की गयी। न्यायालय संभागीय आयुक्त, बांसवाड़ा के निर्णय दिनांक 27.02.2024 द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर पुनः आदेश जारी करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया गया।
- न्यायालय संभागीय आयुक्त, बांसवाड़ा के निर्णय दिनांक 27.02.2024 की पालना में जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई पश्चात उपर्युक्त पारिवारिक/घरेलू विवाद तथा पूर्व में प्रेषित जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट अनुसार शस्त्र अंतरण उचित प्रतीत नहीं होने से शस्त्र अन्तरण की कार्यवाही संभव नहीं होना अपने दिनांक 27.08.2024 में उल्लेखित किया। राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.12.2024 से बांसवाड़ा संभाग को विलोपित किया जाने से जिला प्रतापगढ़ क्षेत्र का हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ।
- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ से अभिलेख तलब किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी के प्रतिनिधि उनके पिता श्री रतन सिंह तथा राजकीय अभिभाषक उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गयी।
- **अपीलांट के प्रतिनिधि उनके पिता श्री रतन लाल ने बताया की** 12 बोर दो नाल गन नम्बर 22850 के शस्त्र अनुज्ञा पत्र नम्बर 107/1976 का धारक होकर जिसका नवीनीकरण दिनांक 31.12.2025 तक होकर विरासत से प्राप्त शस्त्र को उनके पुत्र को हस्तान्तरण के लिये योग्य उत्तराधिकारी मानते है तथा कृषि भूमि जो सीता माता वन खण्ड के पास स्थित होने से जंगली जानवरों के आवागमन से स्वयं की सुरक्षा करने हेतु आत्मरक्षार्थ शस्त्र लाईसेंस दिया जाने हेतु अनुरोध किया गया।
- साथ ही अनुरोध किया गया की अपीलांट के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है तथा उनके विरूद्ध भारत के किसी भी थाने में कोई भी फौजदारी प्रकरण दर्ज नहीं है। अतः अपीलांट के स्वयं के जन धन एवं आत्मरक्षार्थ शस्त्र की आवश्यता होने से विरासत से शस्त्र अन्तरण कराने हेतु अनुरोध किया गया।
- विद्वान राजकीय पेरोकर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।
- *हमने उपस्थित पक्षकारान की बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में सर्वप्रथम दिनांक*

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

06.08.2021 को आवेदक के घरेलू विवाद के चलते पुलिस विभाग की प्रतिकूल टिप्पणी के आधार पर आवेदन खारिज किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर नवीन पुलिस रिपोर्ट के साथ संभागीय आयुक्त, बांसवाड़ा के यहां अपील दिनांक 27.02.2024 को स्वीकार होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। प्रतिप्रेषित प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक के पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र दिनांक 30.09.2021 को आधार बनाया गया है।

- अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2024 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा कोई नवीन पुलिस रिपोर्ट अथवा स्वतन्त्र तहकीकात बगैर पूर्व में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण निरस्त कर दिया गया जिसमें संभागीय आयुक्त, बांसवाड़ा के प्रतिप्रेषण निर्देशों की अनुपालना का अभाव पाया जाता है।

- **उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह उचित समझा जाता है कि जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ प्रकरण में नए सिरे से सुनवाई कर समस्त अद्यतन वैधानिक प्रतिवेदनों (Latest statutory reports) के प्रकाश में गुणावगुण पर तीन माह में विधिसम्मत निर्णय पारित करें।**

<u>अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 24.02.2026 को जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के समक्ष प्रतिप्रेषित प्रकरण में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</u>

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर